कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / प्रारं / वै.शि.प्र. / प्रवेशोत्सव / 2026–27 / 19810 दिनांकः यथाहस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, समस्त।

विषयः प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत घुमन्तु / अर्द्धघुमन्तु / विमुक्त / भीख मांगने में लिप्त परिवारों के बच्चे / प्रवासी श्रमिकों के बच्चे / बालश्रम से मुक्त कराये गए बच्चे और अनाथ आदि वर्गों के बच्चों को राजकीय विद्यालय में प्रवेश के लिए दस्तावेजों के अभाव में वंचित न रखे जाने के संबंध में।
प्रसंगः कार्यालय हाजा के आदेश दिनांकः– 02.07.2024 (राजकाज नं– 8561703) के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की निरन्तरता में पुनः निर्देशित किया जाता है कि राज्य में प्रवेशोत्सव अभियान सत्रः– 2026–27 के दौरान घुमन्तु / अर्द्धघुमन्तु / विमुक्त / भीख मांगने में लिप्त परिवारों के बच्चे / प्रवासी श्रमिकों के बच्चे / बालश्रम से मुक्त कराये गए बच्चे और अनाथ आदि वर्गों के बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाकर इन परिवारों के बच्चों को जिनकी आयु आंगनबाडी / विद्यालय जाने योग्य है, को चिन्हित कर उनकी आयु अनुरूप आंगनबाडी / कक्षा में प्रवेशित कर उन्हें आंगनबाडी एवं विद्यालयों से जोडा जाना है।

राज्य में जिला / ब्लॉक / पंचायतों में घुमन्तु / अर्द्धघुमन्तु / विमुक्त / भीख मांगने में लिप्त परिवारों के बच्चे / प्रवासी श्रमिकों के बच्चे / बालश्रम से मुक्त कराये गए बच्चे और अनाथ आदि वर्गों के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश के लिए अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को पाबंद करें कि देशभर में मान्य किसी भी प्रकार के पहचान पत्र के आधार पर आंगनबाडी / विद्यालय में प्रवेश दिया जाये। यदि बच्चे का कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो तो अभिभावक के पहचान के प्रमाण के साथ अभिभावक के द्वारा दी गई सूचना / शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश देना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् विद्यार्थी की पहचान के दस्तावेज के संबंध में ग्राम पंचायत / नगर निकाय को सूचित कर आवश्यक पूर्ति करावें। दस्तावेजों के अभाव में अन्यथा पात्र होने की स्थिति में प्रवेश से वंचित न रखा जावे।
संलग्नः उपर्युक्तानुसार।

(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं. राज.(प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री शिक्षा (विद्यालयी / संस्कृत) पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा को पालनार्थ।
6. सहायक निदेशक, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा, को प्रेषित कर लेख है कि सर्वे के दौरान चिन्हित बच्चों को पूर्व प्राथमिक संस्थाओं व आंगनबाडी केन्द्रों में प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु सघन मॉनिटरिंग करें।
7. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

WhatsApp channel

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं. राज.(प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.06 19:45:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21422261

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/वै.शि.प्र./प्रवेशोत्सव/2022–23/19810 दिनांकः यथाहस्ताक्षर

1.समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, ।
2.समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, स्कूल शिक्षा।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा।

विषयः प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में घुमन्तू परिवारों के बच्चों को राजकीय विद्यालय में प्रवेश के लिए दस्तावेजों के अभाव में वंचित न रखा जाये।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में वर्तमान में प्रवेशोत्सव अभियान चल रहा है। इस अभियान के दौरान घुमन्तू परिवार के समस्त बालक–बालिकाएँ, जिनकी आयु आंगनबाडी/विद्यालय जाने योग्य है, को चिन्हित कर उनकी आयु अनुरूप आंगनबाडी/कक्षा में प्रवेशित कर उन्हें आंगनबाडी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है। राज्य में जिला/ब्लॉक/पंचायतों में घुमन्तू परिवारों के बच्चों को राजकीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधान को पाबंद करें कि देशभर में मान्य किसी भी प्रकार के पहचान पत्र के आधार पर आंगनबाडी/विद्यालय में प्रवेश दिया जाये। यदि बच्चे का कोई पहचान का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो तो अभिभावक के पहचान के प्रमाण के साथ अभिभावक के द्वारा दी गई सूचना/शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश देना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् विद्यार्थी के पहचान के दस्तावेज के संबंध में ग्राम पंचायत को सूचित कर आवश्यक पूर्ति करावें। दस्तावेजों के अभाव में **अन्यथा पात्र होने की स्थिति में** प्रवेश से वंचित न रखा जावे।

(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं. राज.(प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, रा0 सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार।
3. उपायुक्त VII, शाला दर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. वरिष्ठ तकनिकी, निदेशक, शाला दर्पण एनआईसी जयपुर।
5. सहायक निदेशक, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा, को प्रेषित कर लेख है कि सर्वे के दौरान चिन्हित 3 वर्ष अधिक व 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं व आंगनबाडी केन्द्रों मे प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु सघन मॉनिटरिंग करें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं. राज.(प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान बीकानेर

RajKaj Ref
8561703

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.07.02 17:57:28 IST
Reason: Approved